राँची समाहरणालय राँची ।

(कल्याण शाखा)

दूरभाष नं० :0651-2213348, Email-id : dwo-ranchi@jharkhandmail.gov.in

विज्ञापन

झारखण्ड सरकार, कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 2151 दिनांक 15.07.2015 एवं संकल्प संख्या 3387 दिनांक 02.09.2026 के आलोक में राँची जिलान्तर्गत संचालित कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में प्रति घंटी 400/–(चार सौ) रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम चार घंटी एवं प्रति सप्ताह 5 कार्य दिवस अध्यापन कार्य करने हेतु Service Procurement के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाना है। इसके लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निम्न शर्तो के साथ टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक–30.09.2026 के अपराह्न 4.00 बजे तक समाहरणालय, राँची के ब्लॉक –A कमरा सं0–112, जिला कल्याण कार्यालय, राँची पिन 834001 में सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

शर्ते एवं पात्रता :–

1 अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु 6 माह के लिए बिल्कुल अस्थायी तौर पर शिक्षकों का चयन किया जायगा। विभाग द्वारा उक्त छः माह की अवधि में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने की स्थिति में चयनित शिक्षकों से पुनः छः माह तक कार्य लिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में यह व्यवस्था एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी ।

2 चयन समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखण्ड में अवस्थित आवासीय विद्यालयों के लिए प्रखण्ड स्तर के योग्य अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी। प्रखण्ड स्तर पर योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन कर भरा जायगा ।

3 आवेदक/आवेदिका को संबंधित विषय से **PG/Graduate B.Ed.** एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारक होना आवश्यक है, जिनसे प्राप्त आवेदन को मेधाक्रम के अनुसार सूचीवद्ध किया जायगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी । तदोपरान्त जिला स्तरीय कमिटी द्वारा योग्य अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य हेतु चयन किया जायगा ।

4 अभ्यर्थी का गृह जिला राँची होना आवश्यक है।

5 अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी तरह का अतिरिक्त भत्ता अलग से अनुमान्य नहीं होगा, चयनित शिक्षक किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे, शिक्षकों का पद स्थानान्तरणीय नहीं है, शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जायगी, शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर किये गये अध्यापन कार्य के आधार पर वृतिका का भुगतान किया जायगा ।

6 शिक्षकों से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायगा, जिसमें उसी प्रखण्ड/जिला के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायगी । चयन में सरकार के आरक्षण का प्रावधान का अनुपालन किया जायगा।

7 एकरारनामें की शर्तो के विचलन की स्थिति में या असंतोषप्रद कार्य की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है, इसपर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का कानूनी दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।

8 योग्य अभ्यर्थियों की सेवा लिये जाने हेतु आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायगा।

9 आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे एवं आवेदन पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए । अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।

10 नियोजन हेतु जाति प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त स्तर से निर्गत होना आवश्यक है। शैक्षणिक कार्य हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

11 आवेदन के साथ प्रमाण पत्र यथा जाति, आवासीय, शैक्षणिक , तकनीकी योग्यता एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा ।

12 शिक्षकों का चयन हेतु रिक्ति की संख्या घट–बढ़ सकती है। ।

विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियां निम्नवत है :–

क्र.	आवासीय विद्यालय का नाम	पद का नाम	विषय	रिक्ति संख्या	कोटिवार रिक्ति	न्यूनतम योग्यता	परिलब्धि/ वृतिका
1	अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कमड़े।	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	विज्ञान	1	अनारक्षित –05 अनु०ज०जा०–02 अनु०जा०–01 अ0पि०जा०–01	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर/ स्नातक बी0एड0 एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारक ।	400/– रू0 प्रति घंटी । अधिकतम 4 घंटी प्रतिदिन। एक सप्ताह में अधिकतम 5 कार्य दिवस होगा ।
2	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बुण्डू ।		गणित	1			
3	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, तमाड़।		विज्ञान	1			
4	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बारीडीह ।		विज्ञान	1			
5	अनुसूचित जनजाति आवासीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अमनबुरू, बुण्डू		गणित	1			
6	अनुसूचित जनजाति आवासीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ओरमांझी		गणित	1			
			विज्ञान	1			
7	पिछड़ी जाति आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, जेल रोड, राँची ।		जीव विज्ञान	1			
			गणित	1			
		कुल :–		09			

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
राँची ।